न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 213/2007

प्रार्थी :-

1. दानसिंह पुत्र कजासिंह जातियान-रावत, निवासी-थोथी फूलसागर (रास) तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :-

1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 29/10/2007

उपस्थित: 1 श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।

## -:: निर्णय ::-

दिनॉक:- 15/07/2015

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी एवं इसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि ग्राम-रूपनगर पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण मे खाता सं. 142 खसरा नम्बर 718 रकबा 102 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित हैं उक्त आराजी की कृषि भूमि में प्रार्थी एवं इसके भाईयों व सही खातेदारान का हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं और शान्ति पूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है राज्य सरकार को लगान भी अदा करते हैं। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2030 सम्वत 2018 से 2021 सम्वत 2024 से 2027 2028 से 2031 2041 से 2044 2045 से 2048 2049 से 2052 2053 से 2056 2060 से 2063 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता कजा पुत्र भाला के नाम से सेट्लमेन्ट के समय ये राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित हैं, जो सम्वत 2024 से 2027 तक लगातार प्रार्थी के पिता का नाम बराबर जमाबन्दी में आता रहा फिर इसके पिता फौत होने के बाद कजा पुत्र भाला के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के हल्का पटवारी रास प्रथम द्वारा नाम अकिंत किया गया हैं उस समय प्रार्थी का नाम दानसिंह पुत्र कजासिह है, जो इसकी जगह धन्ना पुत्र कजा सम्वत 2028 से 2031 तक में दर्ज कर दिया, जो एक रोग एन्टी की तारिफ में आता हैं। इसलिए इसे दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है जो यह रोंग एन्टी उक्त सम्वत 2028 से लगातार आज तक गलत नाम दर्ज हैं, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष कजा पुत्र भाला (फौत) के पुत्रगण काना, माना व दाना हुए। उक्त वंश वृक्ष के अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दानसिंह दर्ज होना था। राजस्व अधिकारियों द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन भरते वक्त गलती से सम्वत 2028 से 2030 तक में दानसिंह की जगह धन्ना दर्ज कर दिया गया हैं, जो यह रोग एन्टी राजस्व अधिकारी एवं हल्का पटवारी-रास-प्रथम द्वारा बिना जाँच किये ही गलत दर्ज किया गया हैं, जो कानूनी भूल हैं, जो काबिल सेटेसाईड के जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का दानसिंह पुत्र कजासिंह जाति-रावत, निवारी-थोथी फूलसागर होने का प्रमाण पत्र संरपच ग्राम पंचायत-रास व राशन कार्ड की सत्य प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं, जिसे भी प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का नाम दानसिंह ही हैं, धन्ना गलत नाम दर्ज हैं, जो लगातार राजस्व रेकर्ड मे गलत दर्ज हैं। जिसे दुरूस्त किया जाकर काबिल सेट्साईट के हैं, जो प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जरिये दुरूस्ती के करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में सही नाम घोषित करवाने का अधिकारी हैं। उक्त प्रकरण मे हिस्से गलत दर्ज हैं, न ही कोई बंटवाडे का विवाद हैं। केवल मात्र प्रार्थी का नाम दुरूस्ती से संबंधित ही हैं। इसलिए कानूनी रूप से अन्य सहखातेदार को पक्षकार बनाने की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कोई आवश्यकता नही हैं। इसलिए केवल मात्र तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर को ही पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रार्थी के नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं, जिसे दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें। इस प्रकार प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के नाम की गलत प्रविष्टि धन्ना पुत्र कजा के गलत इन्द्राज को हटाकर दुरूस्त इन्द्राज दानसिंह पुत्र कजासिंह किये जाने की प्रार्थना की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि चुंकि प्रा.पत्र के संलग्न साक्ष्य बतौर प्रस्तुत दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण-पत्र दिनांक 31/08/2005, राशन कार्ड संख्या 2095 दिनांक 10/10/2001 में भी प्रार्थी का वास्तविक नाम दानसिंह पुत्र कजासिंह दुरूस्त रूप से दर्ज है, जिससे सायलान का प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने तथा धन्ना पुत्र कजा के स्थान पर दानसिंह पुत्र कजासिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण स्वयं अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत में उपस्थित अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी का जबाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुका हैं। प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जावें। पत्रावली में प्रस्तुत प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2024-2027, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण-पत्र दिनांक 31/08/2005 एवं राशन कार्ड संख्या 2095 दिनांक 10/10/2001 एवं तहसीलदार, जैतारण / भू0अ0 निरीक्षक जबाब एवं मौका फर्द का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा.पत्र वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज धन्ना पुत्र कजा त्रूटिपूर्ण होने व दुरूस्त करने का उक्त दस्तावेजात साक्ष्य पेश किया हैं। जिससे तहसीलदार जैतारण को वास्तविक तथ्यों की बरूवे रेकर्ड व मजमा-ए-आम मौका जांच करके कि आया दानसिंह पुत्र कजासिंह एक व्यक्ति सायल ही है तथा वास्तविक नाम दानसिंह पुत्र कजासिंह ही है, जरिए शुद्धि-पत्र दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

## -:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि ग्राम-रूपनगर पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण मे खाता सं. 142 खसरा नम्बर 718 रकबा 102 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज प्रार्थी का नाम वास्तविक रूप से जमाबंदी सम्वत् 2024-2027, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण-पत्र दिनांक 31/08/2005 एवं राशन कार्ड संख्या 2095 दिनांक 10/10/2001 के दस्तावेजात अनुसार दानसिंह पुत्र कजासिंह एक ही व्यक्ति प्रार्थी ही हैं। अतः वास्तविक नाम दानसिंह पुत्र कजासिंह होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र -रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner